

क्रमांक प. 8 (2) वित्त/एसपीएफसी/विधि/2020

जयपुर, दिनांक: 16.12.2021


परिपत्र

विषय : **GeM Portal** पर किये जा रहे उपापन के संबंध में विभिन्न उपापन संस्थाओं की पेडेंसी एवं उपापन के संबंध में किए गए भुगतान को जेम पोर्टल पर अपडेट/अद्यतन करवाने बाबत।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) से प्राप्त अर्धशासकीय पत्र दिनांक 01.12.2021 द्वारा राज्य की उपापन संस्थाओं के जैम पोर्टल पर लंबित भुगतान प्रकरणों एवं ऑफलाइन किये गये भुगतानों के जैम पोर्टल पर समयबद्ध अपडेट/अद्यतन नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया है।


जैम पोर्टल पर किये जा रहे उपापन का समय पर भुगतान किए जाने के संबंध में पूर्व में भी दिनांक 29.07.2021 को परिपत्र जारी किया जा चुका है।

संबंधित प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि अपने अधीन उपापन संस्थाओं को निर्देशित करावें कि, जैम पोर्टल पर किये गये उपापनों से संबंधित लंबित भुगतान प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार अतिशीघ्र किया जावे, साथ ही उपापन संस्थानों द्वारा ऑफलाइन किये गये भुगतानों को जैम पोर्टल पर अपडेट/अद्यतन किया जावे। उपापन संस्था जैम पोर्टल पर इस संबंध में सहायता के लिए रीजनल फेसीलेटर (राजस्थान) एवं सीनियर ट्रेनर श्री शशांक शर्मा मोबाईल न. 7338999814 पर संपर्क कर सकते हैं।


(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार (ऑडिट), राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उपशासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।


(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव